International Journal of Enhanced Research in Educational Development (IJERED)
ISSN: 2320-8708, Vol. 14 Issue 4, July-August, 2026

भारतीय लोकतंत्र में सुशासन, पारदर्शिता एवं जवाबदेही: एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

संदीप कुमार लौरा

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान एवं लोक प्रशासन विभाग, मानविकी संकाय, बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय, अस्थल बोहर, रोहतक, हरियाणा - 124021

सार

भारतीय लोकतंत्र में सुशासन, पारदर्शिता एवं जवाबदेही लोकतांत्रिक शासन की प्रभावशीलता और जनविश्वास के प्रमुख आधार हैं। सुशासन का उद्देश्य ऐसी शासन व्यवस्था स्थापित करना है जो पारदर्शी, उत्तरदायी, सहभागी, विधि-सम्मत तथा जनकल्याणकारी हो।

पारदर्शिता से शासन की नीतियों, निर्णयों एवं प्रशासनिक प्रक्रियाओं में खुलापन सुनिश्चित होता है, जबकि जवाबदेही यह सुनिश्चित करती है कि सरकार तथा लोकसेवक अपने कार्यों के लिए जनता और संविधान के प्रति उत्तरदायी रहें। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005, ई-गवर्नेंस, सामाजिक अंकेक्षण, लोकपाल एवं लोकायुक्त तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जैसी संस्थाओं ने शासन में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके बावजूद भ्रष्टाचार, प्रशासनिक जटिलताएँ, राजनीतिक हस्तक्षेप, सूचना तक सीमित पहुँच तथा संस्थागत कमजोरियाँ सुशासन के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ हैं। प्रस्तुत शोध-पत्र में भारतीय लोकतंत्र में सुशासन, पारदर्शिता एवं जवाबदेही की अवधारणा, संवैधानिक आधार, संस्थागत व्यवस्थाओं, समकालीन चुनौतियों तथा सुधारात्मक उपायों का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया गया है। अध्ययन का निष्कर्ष है कि प्रभावी लोकतंत्र के लिए पारदर्शी प्रशासन, सुदृढ़ जवाबदेही तंत्र, सक्रिय नागरिक सहभागिता तथा तकनीक-आधारित शासन का समन्वय अत्यंत आवश्यक है।

मुख्य शब्दः भारतीय लोकतंत्र, सुशासन, पारदर्शिता, जवाबदेही, सूचना का अधिकार, ई-गवर्नेंस, नागरिक सहभागिता।

प्रस्तावना

भारतीय लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक तंत्र है, जिसकी आधारशिला संविधान, विधि का शासन, जनसहभागिता तथा उत्तरदायी शासन पर आधारित है। लोकतंत्र की वास्तविक सफलता केवल नियमित एवं स्वतंत्र चुनावों से नहीं मापी जाती, बल्कि इस बात से निर्धारित होती है कि शासन व्यवस्था कितनी पारदर्शी, जवाबदेह और जनोन्मुख है। वर्तमान समय में सुशासन की अवधारणा लोकतांत्रिक शासन की गुणवत्ता का महत्वपूर्ण मापदंड बन चुकी है। सुशासन का उद्देश्य ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करना है जो पारदर्शिता, जवाबदेही, दक्षता, निष्पक्षता, जनसहभागिता तथा विधि के शासन पर आधारित हो।

भारतीय संदर्भ में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005, ई-गवर्नेंस, डिजिटल इंडिया, सामाजिक अंकेक्षण, लोकपाल एवं लोकायुक्त तथा अन्य संवैधानिक संस्थाओं ने शासन को अधिक पारदर्शी एवं उत्तरदायी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके बावजूद भ्रष्टाचार, प्रशासनिक विलंब, राजनीतिक हस्तक्षेप, सूचना तक सीमित पहुँच तथा संस्थागत कमजोरियाँ सुशासन के समक्ष गंभीर चुनौतियाँ बनी हुई हैं।

प्रस्तुत शोध-पत्र का उद्देश्य भारतीय लोकतंत्र में सुशासन, पारदर्शिता एवं जवाबदेही की अवधारणाओं का विश्लेषण करना, उनके संवैधानिक एवं संस्थागत आधार का अध्ययन करना तथा समकालीन चुनौतियों और सुधारात्मक उपायों का मूल्यांकन करना है। यह अध्ययन लोकतांत्रिक शासन को अधिक प्रभावी, पारदर्शी एवं नागरिक-केंद्रित बनाने की दिशा में उपयोगी दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है।

सुशासन की अवधारणा

सुशासन से अभिप्राय ऐसी शासन व्यवस्था से है जो पारदर्शी, उत्तरदायी, सहभागी, प्रभावी, न्यायसंगत तथा विधि के शासन पर आधारित हो। इसका उद्देश्य केवल प्रशासनिक कार्यों का संचालन करना नहीं, बल्कि नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करते हुए

सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक विकास को सुनिश्चित करना है। सुशासन में सरकार, प्रशासन, नागरिक समाज तथा आम नागरिकों के बीच सहयोग और विश्वास का विशेष महत्व होता है।

विश्व बैंक तथा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के अनुसार, सुशासन वह व्यवस्था है जिसमें सार्वजनिक संसाधनों का उपयोग पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, दक्षता तथा जनहित को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। भारतीय संदर्भ में सुशासन की अवधारणा संविधान में निहित न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों से प्रेरित है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005, ई-गवर्नेंस, सामाजिक अंकेक्षण, लोकपाल एवं लोकायुक्त जैसी व्यवस्थाएँ सुशासन को सुदृढ़ बनाने के महत्वपूर्ण साधन हैं।

सुशासन के प्रमुख तत्वों में पारदर्शिता, जवाबदेही, विधि का शासन, जनसहभागिता, दक्षता, समावेशिता, उत्तरदायित्व तथा भ्रष्टाचार-मुक्त प्रशासन शामिल हैं। इन तत्वों के प्रभावी क्रियान्वयन से शासन में जनता का विश्वास बढ़ता है, नीतियों का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित होता है तथा लोकतंत्र अधिक सुदृढ़ और जनोन्मुख बनता है। इसलिए सुशासन को आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था का आधार और सतत विकास का आवश्यक माध्यम माना जाता है।

भारतीय लोकतंत्र में पारदर्शिता का महत्व

पारदर्शिता लोकतांत्रिक शासन का एक मूलभूत सिद्धांत है, जिसके माध्यम से शासन की नीतियों, निर्णयों, योजनाओं तथा प्रशासनिक प्रक्रियाओं को नागरिकों के लिए स्पष्ट, सुलभ एवं उत्तरदायी बनाया जाता है। भारतीय लोकतंत्र में पारदर्शिता का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी संस्थाएँ जनहित में कार्य करें तथा सार्वजनिक संसाधनों का उपयोग निष्पक्ष, ईमानदार और प्रभावी ढंग से हो। पारदर्शिता शासन और नागरिकों के बीच विश्वास को सुदृढ़ करती है तथा लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता को बढ़ाती है।

भारतीय संविधान में निहित लोकतांत्रिक आदर्श, विधि का शासन तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पारदर्शिता की भावना को सशक्त आधार प्रदान करते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 ने इस दिशा में ऐतिहासिक भूमिका निभाई है। इस अधिनियम के माध्यम से नागरिकों को सरकारी अभिलेखों एवं सूचनाओं तक पहुँच का वैधानिक अधिकार प्राप्त हुआ, जिससे प्रशासनिक कार्यों में खुलापन बढ़ा तथा भ्रष्टाचार पर नियंत्रण की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। इसके अतिरिक्त ई-गवर्नेंस, डिजिटल इंडिया, सार्वजनिक सेवा पोर्टलों तथा ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणालियों ने शासन को अधिक पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित बनाया है।

पारदर्शिता का महत्व केवल सूचना उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह लोकतांत्रिक जवाबदेही, जनसहभागिता तथा सुशासन को भी सुदृढ़ करती है। जब नागरिकों को सरकारी निर्णयों, योजनाओं और व्ययों की जानकारी प्राप्त होती है, तब वे शासन की कार्यप्रणाली का मूल्यांकन कर सकते हैं तथा आवश्यक होने पर जवाबदेही सुनिश्चित कर सकते हैं। इससे भ्रष्टाचार, पक्षपात और संसाधनों के दुरुपयोग की संभावनाएँ कम होती हैं तथा प्रशासनिक दक्षता में वृद्धि होती है।

अतः भारतीय लोकतंत्र में पारदर्शिता सुशासन का आधारभूत स्तंभ है। यह नागरिकों के अधिकारों की रक्षा, लोकतांत्रिक मूल्यों के संरक्षण तथा उत्तरदायी एवं जनोन्मुख प्रशासन की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए पारदर्शिता की संस्कृति को निरंतर प्रोत्साहित करना आवश्यक है।

लोकतांत्रिक शासन में जवाबदेही की भूमिका

जवाबदेही लोकतांत्रिक शासन का एक अनिवार्य तत्व है, जो यह सुनिश्चित करती है कि सरकार, जनप्रतिनिधि तथा लोकसेवक अपने कार्यों, निर्णयों और नीतियों के लिए जनता, संविधान तथा कानून के प्रति उत्तरदायी रहें। लोकतंत्र में शासन की वैधता केवल चुनावों से नहीं, बल्कि निरंतर उत्तरदायित्व और जनविश्वास से भी निर्धारित होती है। जवाबदेही शासन में पारदर्शिता, निष्पक्षता तथा नैतिकता को बढ़ावा देती है और सत्ता के दुरुपयोग को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

भारतीय लोकतंत्र में संसद, न्यायपालिका, निर्वाचन आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, केंद्रीय सतर्कता आयोग, लोकपाल एवं लोकायुक्त तथा सूचना आयोग जैसी संस्थाएँ जवाबदेही सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। इसके अतिरिक्त सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005, सामाजिक अंकेक्षण, जनसुनवाई तथा ई-गवर्नेंस जैसी व्यवस्थाएँ भी प्रशासन को अधिक उत्तरदायी बनाती हैं।

प्रभावी जवाबदेही से भ्रष्टाचार, पक्षपात और प्रशासनिक अनियमितताओं में कमी आती है तथा सार्वजनिक संसाधनों का उपयोग अधिक पारदर्शी और जनहितकारी ढंग से होता है। साथ ही, नागरिकों का शासन व्यवस्था पर विश्वास बढ़ता है और लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता सुदृढ़ होती है। इसलिए लोकतांत्रिक शासन की सफलता के लिए जवाबदेही का प्रभावी क्रियान्वयन अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यही सुशासन, पारदर्शिता और नागरिक अधिकारों की सुरक्षा का आधार है।

भारत में सुशासन, पारदर्शिता एवं जवाबदेही के संवैधानिक एवं संस्थागत आधार

भारतीय लोकतंत्र में सुशासन, पारदर्शिता एवं जवाबदेही की अवधारणा का आधार भारतीय संविधान में निहित लोकतांत्रिक मूल्यों, विधि के शासन तथा नागरिक अधिकारों में निहित है। संविधान की प्रस्तावना न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे आदर्शों की

स्थापना का संकल्प व्यक्त करती है, जो उत्तरदायी एवं जनोन्मुख शासन की आधारशिला हैं। मौलिक अधिकार नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता तथा संवैधानिक उपचार का अधिकार प्रदान करते हैं, जबकि राज्य के नीति-निर्देशक तत्व लोककल्याणकारी राज्य की स्थापना हेतु सरकार को मार्गदर्शन देते हैं।

भारत में सुशासन को सुदृढ़ बनाने के लिए अनेक संवैधानिक एवं वैधानिक संस्थाओं की स्थापना की गई है। संसद और राज्य विधानमंडल कार्यपालिका की नीतियों एवं निर्णयों की समीक्षा कर उसे जनता के प्रति उत्तरदायी बनाते हैं। स्वतंत्र न्यायपालिका संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखते हुए नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करती है तथा शासन की वैधता सुनिश्चित करती है। निर्वाचन आयोग स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों के माध्यम से लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सुदृढ़ करता है, जबकि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सार्वजनिक धन के उपयोग का लेखा-परीक्षण कर वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करता है।

इसके अतिरिक्त, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 ने शासन में पारदर्शिता को अभूतपूर्व बल प्रदान किया है। केंद्रीय एवं राज्य सूचना आयोग नागरिकों को सूचना प्राप्त करने के अधिकार के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लोकपाल एवं लोकायुक्त, केंद्रीय सतर्कता आयोग, सामाजिक अंकेक्षण तथा ई-गवर्नेंस जैसी व्यवस्थाएँ भ्रष्टाचार पर नियंत्रण, प्रशासनिक उत्तरदायित्व तथा नागरिक सहभागिता को प्रोत्साहित करती हैं। डिजिटल शासन और ऑनलाइन सार्वजनिक सेवाओं ने भी प्रशासनिक प्रक्रियाओं को अधिक पारदर्शी और सुलभ बनाया है।

इस प्रकार, भारतीय संविधान तथा विभिन्न लोकतांत्रिक संस्थाएँ मिलकर सुशासन, पारदर्शिता एवं जवाबदेही की सुदृढ़ व्यवस्था का निर्माण करती हैं। इन संस्थाओं की स्वतंत्रता, निष्पक्षता और प्रभावी कार्यप्रणाली लोकतांत्रिक शासन की विश्वसनीयता तथा जनविश्वास को बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है।

चुनौतियाँ एवं सुधार के उपाय

भारतीय लोकतंत्र में सुशासन, पारदर्शिता एवं जवाबदेही को सुदृढ़ करने के लिए अनेक संवैधानिक एवं संस्थागत प्रयास किए गए हैं, फिर भी इनके प्रभावी क्रियान्वयन के समक्ष अनेक चुनौतियाँ विद्यमान हैं। प्रमुख चुनौतियों में भ्रष्टाचार, प्रशासनिक लालफीताशाही, निर्णय प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब, राजनीतिक हस्तक्षेप, सूचना तक सीमित पहुँच, संस्थागत समन्वय का अभाव तथा सार्वजनिक संसाधनों के दुरुपयोग जैसी समस्याएँ शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, डिजिटल असमानता, नागरिकों में कानूनी अधिकारों के प्रति सीमित जागरूकता तथा शिकायत निवारण तंत्र की धीमी कार्यप्रणाली भी सुशासन की प्रभावशीलता को प्रभावित करती है। कई बार पारदर्शिता से संबंधित कानूनों का समुचित पालन नहीं हो पाता, जिससे नागरिकों का लोकतांत्रिक संस्थाओं पर विश्वास कमजोर होता है।

इन चुनौतियों के समाधान के लिए व्यापक सुधारात्मक उपाय आवश्यक हैं। सर्वप्रथम, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 तथा अन्य पारदर्शिता संबंधी कानूनों का प्रभावी और समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। लोकपाल, लोकायुक्त, केंद्रीय सतर्कता आयोग तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जैसी संस्थाओं को अधिक स्वायत्तता एवं संसाधन प्रदान किए जाने चाहिए ताकि वे निष्पक्ष रूप से अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकें। ई-गवर्नेंस, डिजिटल सेवाओं और ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणालियों का विस्तार कर प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल, पारदर्शी और उत्तरदायी बनाया जाना चाहिए। साथ ही, सामाजिक अंकेक्षण, जनसुनवाई और नागरिक सहभागिता को बढ़ावा देकर लोकतांत्रिक नियंत्रण को मजबूत किया जाना आवश्यक है।

अंततः, सुशासन की स्थापना केवल विधिक प्रावधानों से संभव नहीं है, बल्कि इसके लिए नैतिक प्रशासन, राजनीतिक इच्छाशक्ति, पारदर्शी कार्यसंस्कृति तथा जागरूक नागरिक समाज की भी आवश्यकता है। जब सरकार, प्रशासन और नागरिक मिलकर उत्तरदायी शासन की दिशा में कार्य करेंगे, तभी भारतीय लोकतंत्र अधिक प्रभावी, पारदर्शी और जनकल्याणकारी बन सकेगा।

निष्कर्ष

भारतीय लोकतंत्र में सुशासन, पारदर्शिता एवं जवाबदेही एक प्रभावी, उत्तरदायी और जनकल्याणकारी शासन व्यवस्था की आधारशिला हैं। लोकतंत्र की सफलता केवल चुनावों के नियमित आयोजन तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह इस बात पर भी निर्भर करती है कि शासन नागरिकों के प्रति कितना पारदर्शी, उत्तरदायी और संवेदनशील है। पारदर्शिता से शासन की कार्यप्रणाली में खुलापन आता है, जिससे नागरिकों को निर्णय प्रक्रिया, योजनाओं और सार्वजनिक संसाधनों के उपयोग की जानकारी प्राप्त होती है। वहीं, जवाबदेही यह सुनिश्चित करती है कि सरकार तथा लोकसेवक अपने कार्यों के लिए संविधान, कानून और जनता के प्रति उत्तरदायी रहें।

भारतीय संविधान, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005, स्वतंत्र न्यायपालिका, निर्वाचन आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, लोकपाल एवं लोकायुक्त, केंद्रीय सतर्कता आयोग तथा ई-गवर्नेंस जैसी व्यवस्थाओं ने लोकतांत्रिक शासन को अधिक पारदर्शी और उत्तरदायी बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके बावजूद भ्रष्टाचार, प्रशासनिक जटिलताएँ, राजनीतिक हस्तक्षेप, सूचना तक सीमित पहुँच तथा संस्थागत कमजोरियाँ आज भी सुशासन के समक्ष गंभीर चुनौतियाँ बनी हुई हैं।

अतः आवश्यक है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वायत्तता को सुदृढ़ किया जाए, पारदर्शिता संबंधी कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए तथा नागरिक सहभागिता को और अधिक प्रोत्साहित किया जाए। डिजिटल प्रौद्योगिकी, सामाजिक अंकेक्षण और नैतिक प्रशासन के माध्यम से शासन व्यवस्था को अधिक उत्तरदायी एवं जनोन्मुख बनाया जा सकता है। निष्कर्षतः, सुशासन, पारदर्शिता एवं जवाबदेही केवल प्रशासनिक आदर्श नहीं, बल्कि भारतीय लोकतंत्र की स्थिरता, विश्वसनीयता और सतत विकास के लिए अनिवार्य लोकतांत्रिक मूल्य हैं, जिनका निरंतर सुदृढ़ीकरण लोकतांत्रिक व्यवस्था को अधिक सशक्त और जनविश्वास के योग्य बनाएगा।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. बसु, डी. डी. (2022). भारत के संविधान का परिचय. नई दिल्लीः लेक्सिसनेक्सिस ।
2. लक्ष्मीकांत, एम. (2024). भारतीय राजव्यवस्था (7वाँ संस्करण). नई दिल्लीः मैक्ग्रा हिल एजुकेशन।
3. अवस्थी, ए. एवं अवस्थी, महेश्वरी. (2021). लोक प्रशासन. आगराः लक्ष्मी नारायण अग्रवाल।
4. फाड़िया, बी. एल. (2022). भारतीय शासन एवं राजनीति. आगराः साहित्य भवन पब्लिकेशन्स।
5. फाड़िया, बी. एल. (2021). लोक प्रशासन. आगराः साहित्य भवन पब्लिकेशन्स।
6. भारत सरकार. (2024). भारत का संविधान. नई दिल्लीः विधि एवं न्याय मंत्रालय।
7. भारत सरकार. (2005). सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005. नई दिल्लीः विधि एवं न्याय मंत्रालय।
8. भारत सरकार. (2013). लोकपाल एवं लोकायुक्त अधिनियम, 2013. नई दिल्लीः विधि एवं न्याय मंत्रालय।
9. द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग. (2007). शासन में नैतिकता (म्जीपबे पद ळवअमतदंदबम). नई दिल्लीः भारत सरकार।
10. द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग. (2009). ई-गवर्नेसः भारत में सुशासन का मार्ग. नई दिल्लीः भारत सरकार।
11. भारत सरकार. (2023). प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग की वार्षिक रिपोर्ट. नई दिल्लीः कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय।
12. संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी). (1997). सुशासन और सतत मानव विकास. न्यूयॉर्कः यूएनडीपी।
13. विश्व बैंक. (1992). सुशासन और विकास (ळवअमतदंदबम ंदक क्मअमसवचउमदज). वाशिंगटन डी.सी.ः विश्व बैंक।
14. ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल. (2024). भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक (ब्वततनचजपवद च्मतबमचजपवदे प्दकमगए 2024). बर्लिनः ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल।